

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 398/इंदौर /2018

निर्धारण वर्ष : 2012-13

मे. एस.एस.इन्फ्रा एंड रिअल इस्टेट प्रा.लि., इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 5 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएओसीएस 1347 एम		

अपीलार्थी की ओर से	श्री अखिलाश पास्टकर, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री वी.जे.बोरिचा, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि	21.01.2019
उद्घोषणा तिथि	22.01.2019

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 04.01.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है। यह अपील 01 दिन से कालबाधित है। इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु शपथपक्ष सहित आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी कंपनी के निदेशक बीमार थे इस वजह से अपील दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः अपील दाखिल करने में 01 दिन

का विलंब हुआ। अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है। हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था। अतः इस अपील दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है तथा अपील को गुणागुण पर सुनवाई हेतु लिया जाता है।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था। अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए। दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है। हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है। अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं। यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है।

यह आदेश 22.01.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(कुल भारत)

न्यायिक सदस्य

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 22.01.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,
गार्ड फ़ाइल